Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 48–2025] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 1, 2025 (AGRAHAYANA 10, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 नवम्बर, 2025

संख्या 1256–कृषि अनु0 (1)–2025/6783.– हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23) की धारा 6ख की उप–धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, अधिसूचना संख्या 641–कृषि अनु0–(1)–2025/2862, दिनांक 02 जून, 2025 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में वर्णित मंडी समिति, कनीना के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र की सीमाओं को उक्त अनुसूची के खाना 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को उसमें से निकालते हुए उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट मंडी समिति, महेन्द्रगढ़ में शामिल करते हुए परिवर्तित करते हैं।

अनुसूची

मंडी समिति, जिससे क्षेत्र निकाला जाना है।	मंडी समिति, जिसमें क्षेत्र शामिल किया जाना है।	क्षेत्र जो कनीना के अधिसूचित मंडी समिति क्षेत्र से निकाला जाना है और महेन्द्रगढ़ के अधिसूचित मंडी क्षेत्र में शामिल किया जाना है।			
1	2	3			
		गांव का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
कनीना	महेन्द्रगढ़	देवास	79	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		चितलांग	78	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		भालखी	31	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		सुरजनवास	73	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		बवानिया	28	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		मुडायन	29	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		बचीनी	70	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		बुचावास	68	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		सिगड़ा	65	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		सिगडी	64	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		अनावास	66	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		मेघनवास	75	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़

		डुलाना	77	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		खेड़ा	72	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
		अकबरपुर नांगल	69	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़

पंकज अग्रवाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT

Notification

The 25th November, 2025

No. 1256-Agri. Sec.(1)-2025/ 6783.— In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (2) of section 6B of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961) and with reference to Haryana Government, Agriculture and Farmers Welfare Department, notification No. 641-Agri. Sec. (1)-2025/2862, dated the 2nd June, 2025, the Governor of Haryana hereby alter the limits of notified market area of market committee, Kanina mentioned under column 1 by excluding the area mentioned in column 3 of the Schedule given below and including the same in the notified market area of Mohindergarh specified in column 2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Market Committee from which area is to be excluded	Market Committee in which area is to be included	Area to be excluded from the notified market area of Kanina and to be included in the notified Market Area of Mohindergarh			
1	2	3			
		Name of Village	Hadbast Number	Tehsil	District
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
Kanina	Mohindergarh	Dewas	79	Mohindergarh	Mohindergarh
		Chitlang	78	Mohindergarh	Mohindergarh
		Bhalkhi	31	Mohindergarh	Mohindergarh
		Surajanwas	73	Mohindergarh	Mohindergarh
		Bawaniya	28	Mohindergarh	Mohindergarh
		Mudayan	29	Mohindergarh	Mohindergarh
		Bachini	70	Mohindergarh	Mohindergarh
		Buchawas	68	Mohindergarh	Mohindergarh
		Sigra	65	Mohindergarh	Mohindergarh
		Sigri	64	Mohindergarh	Mohindergarh
		Anawas	66	Mohindergarh	Mohindergarh
		Meghanwas	75	Mohindergarh	Mohindergarh
		Dulana	77	Mohindergarh	Mohindergarh
		Khera	72	Mohindergarh	Mohindergarh
		Akbarpur Nangal	69	Mohindergarh	Mohindergarh

PANKAJ AGARWAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Agriculture & Farmers Welfare Department.

12237—C.S.—H.G.P., Pkl.